समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्रं.   /18/श्योपुर/निगरानी

निग-नी-4694/2018/श्योपुर/भू.रा.सं.

1—प्रहलाद पुत्र गंगोली द्वारा वारिसान
1/1—भागिती बेवा प्रहलाद 1/2—विनोद 1—3
राजेश पुत्रगण प्रहलाद 1/4 अष्टमी
1/5—मंजू पुत्रीया प्रहलाद जातियान जाटव
निवासीगण लाडपुरा तह.विजयपुर जिला श्योपुर
2—मनीराम पुत्र गंगोली
3—रामदीन पुत्र हलुके
4—गोपाल पुत्र कुंदन
5—नेतराम पुत्र कुंदन
6—रामनाथ पुत्र बनवारी
7—शिवसिंह पुत्र बुद्दी
8—रघुनंदन पुत्र बुद्दी
9—शान्ती बेवा गोपी
10—रामसिंह पुत्र मदनू
11—महेश पुत्र मदनू
सभी जाति जाटव सभी निवासीगण ग्राम
लाडपुरा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर म.प्र.
..............निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर
...............गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्व न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अपने प्र.क्र. 08/16—17/अ—21 दिनांक 19-6-18 कोई कार्यवाही न किये जाने से व्यथित होकर।

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

प्रकरण का संक्षिप्त का विवरण—

यह कि निगरानीकर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रं. 29/16, 29/7, 29/8, 29/10, 29/9, 29/14, 29/15, 29/18, 29/19 जो कि ग्राम लाडपुरा तह. विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित है। उक्त भूमि आवेदकगण/निगरानीकर्तागणों को शासकीय पट्टे से आवंटित हुई हे। उक्त भूमि आस—पास की होकर छोटे रकबे हैं। भूमि का अधिकांश भाग अबड

क्रमंशः...........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4694/2018/श्योपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
22.10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 08/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 19.6.18 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रहलाद पुत्र गंगोली एवं अन्य 10 सभी जातियान जाटव निवासीयान ग्राम लाड़पुरा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर को प्रदाय किये पटटे् की भूमि के विक्रय की अनुमति चाही गई थी लेकिन कलेक्टर द्वारा आज दिनांक तक विक्रय की अनुमति पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावोजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि प्रथम आदेश पत्रिका में दिनांक 17.5.16 से 19.6.18 तक 21 पेशियां नियत हो चुकी हैं उसके बाद भी प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका है। अतः कलेक्टर जिला श्योपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण 45 दिवस में किया जावे। सदस्य	